न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य
आर.ए.एस

अपील संख्या :–

शिवकुमारी शर्मा पत्नी बाबूलाल पुरोहित आयु 65 वर्ष जाति ब्राहमण निवासी सुन्दरपुरा ढाढा तहसील पावटा जिला जयपुर (राज.)

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 613 वाके मौजा बूचाहेडा तहसील कोटपूतली निर्णय दिनांक 20/3/2021 द्वारा तहसीलदार तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

निर्णय दिनांक 9-2-2022

अपीलान्ट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 613 वाके मौजा बूचाहेडा तहसील कोटपूतली निर्णय दिनांक 20/3/2001 द्वारा तहसीलदार कोटपूतली से व्यथित होकर अपील पेश की है। प्रस्तुत अपील की गयी अपील में वर्णित तथ्य बिन्दुवार निम्नभांति पेश हैं :–

1. यह है कि ग्राम बूचाहेडा आराजी हाल ख.नं. 579/227/0.03 में हिस्सा सम्पूर्ण के खातेदार जगदीश पुत्र अर्जुन जाति माली निवासी बूचाहेडा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान से उसका सम्पूर्ण हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र 12/02/1997 को अपीलान्ट ने क्रय किया था जिसके आधार पर अपीलान्ट के पक्ष में नामा.सं. 613 दर्ज किया गया।
2. यह है कि नामा.सं. 613 पटवारी हल्का ने दर्ज करते हुये केता के पक्ष में हिस्सा सम्पूर्ण के स्थान पर 243/300 व विकेता के पक्ष में शेष हिस्सा 57/300 दर्ज कर रेस्पोडेन्ट के समक्ष पेश किया, जिसमें रेस्पोडेन्ट ने ऑख बन्द करके दिनांक 20/3/2001 को स्वीकार फरमा दिया, जबकि इस नामा. के हाल ख.नं. 579/2271/0.03 का सम्पूर्ण हिस्सा केता/अपीलान्ट के पक्ष में दर्ज करना चाहिए था
3. यह है कि विक्रित ख.नं. का सम्पूर्ण रकबा 0.03 है0 का बेचान किया गया था परन्तु रेस्पोंडेन्ट की गलती से नामा.सं. 613 गलत रूप से दर्ज करने से अपीलान्ट के पक्ष में हिस्सा सम्पूर्ण की बजाये 243/300 ही दर्ज हो गया ओर शेष हिस्सा विकेता के नाम बदस्तुर रह गया, जिसकी वजह से अपीलान्ट को अब कानूनी समस्याओं का सामना करना पड रहा है।
4. यह है कि अपीलान्ट के खिलाफ कोई भी निर्णय पारित करने से पूर्व उसे सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। उक्त विवादित निर्णय प्रार्थी को बिना सूचना दिये उसकी अनुपस्थिती में पारित तकिया है। इसलिए उक्त निर्णय विधि की दृष्टि से निरस्तनीय है।
5. यह है कि विक्रित सम्पूर्ण हिस्सा आज भी मौके पर केता/अपीलान्ट के कब्जे में है। उक्त नामा.सं. 613 में विक्रित भूमि का सम्पूर्ण हिस्सा के स्थान पर हिस्सा 243/300 दर्ज करने से कानूनी समस्या आ रही है। अतः नामा.सं. 613 में अपीलान्ट के पक्ष में विक्रित हिस्सा 243/300 के स्थान पर हिस्सा सम्पूर्ण दर्ज किया जाना व विकेता का नाम अंकित हिस्सा 57/300 को हज्फ फरमाया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।
6. यह है कि नामा.सं. 613 में पारित निर्णय दिनांक 20/3/2001 से अपीलान्ट के खातेदारी अधिकार प्रभावित हो रहे है उनकी पंश कीमती भूमि का हिस्सा समाप्त हो गया है जिन्हे निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के अधिकारों को सुरक्षित करने हेतु खारिज निर्णय को निरस्त

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (राज.)

कर अपीलान्ट को विकित भूमि के सम्पूर्ण हिस्से का नामा. दर्ज किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है और श्रीमान् अदालत से यही विनाय अपील है।

7. यह है कि नामा.सं. 613 के निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को पहली बार दिनांक 20/01/2020 को नामा. व जमाबंदी की प्रतिलिपि देखने से हुयी है। इससे पूर्व अपीलान्ट को नामा. के बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी और जानकारी होते ही बिना देरी के श्रीमान् अदालत के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी है। अपीलान्ट को जानकारी दिनांक 20/01/2022 से पूर्व की देरी की जानकारी के अभाव में कन्डोन किये जाने बाबत अलग से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम संलग्न अपील है।

8. यह है कि विवादित अपील श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में स्थित है तथा विवादित निर्णय अधिनस्थ तहसीलदार द्वारा पारित किया गया है जिसे दुरूस्त करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

9. यह है कि अपील उचित कोर्ट फीस पर पेश है। अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम बूचाहेडा तहसील कोटपूतली के नामा.सं. 613 निर्णय दिनांक 20/3/2001 को निरस्त किया जाकर विकित भूमि हाल ख.नं. 579/2271/0.003 का सम्पूर्ण हिस्सा अपीलान्ट के पक्ष में दर्ज करने तथा विकेता के पक्ष में दर्ज हिस्सा 57/300 को हज्फ करने के आदेश दिये जावें।

10. अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट की तल्बी हेतु सम्मन नोटिस जारी किये बाद तामील सम्मन नोटिस संलग्न पत्रावली किये गये।

11. बहस् सुनी गयी । वकील अपीलान्ट का प्रस्तुत बहस में अभिकथन है कि ग्राम बूचाहेडा तहसील कोटपूतली के हाल ख.नं. 579/2271/0.03 में हिस्सा सम्पूर्ण के खातेदार जगदीश पुत्र अर्जुन माली निवासी बूचाहेडा था जिसका सम्पूर्ण हिस्सा जरिये विकय पत्र से दिनांक 12/2/1997 को अपीलान्ट ने कय किया था जिसके आधार पर नामा.सं. 613 दर्ज किया गया। उक्त नामा. को दर्ज करते समय पटवारी हल्का ने केता के पक्ष में हिस्सा सम्पूर्ण के स्थान पर हिस्सा 243/300 व विकेता के पक्ष में शेष हिस्सा 57/300 दर्ज कर दिया । उक्त नामा. पटवारी हल्का ने गलत दर्ज कर दिया जिसकी अनदेखी कर रेस्पोडेन्ट ने दिनांक 20/3/2001 को स्वीकार कर दिया जबकि उक्त नामा. में हाल ख.नं. 579/2271/0.03 का सम्पूर्ण हिस्सा अपीलान्ट/केता के पक्ष में दर्ज करना चाहिए था। उक्त नामा. से अपीलान्ट के खातेदारी अधिकार प्रभावित हो रहे है। उक्त नामा.सं. 613 में अपीलान्ट के पक्ष में विकित हिस्सा 243/300 के स्थान पर सम्पूर्ण हिस्सा दर्ज करना तथा विकेता के नाम अंकित हिस्सा 57/300 को हज्फ फरमाया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अपीलान्ट को उक्त नामा. की जानकारी नहीं थी जानकारी होते ही श्रीमान् की अदालत में अपील प्रस्तुत कर दी है । दिनांक 20/01/2022 से पूर्व की जानकारी के अभाव में प्रा. पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम का पेश किया है।

अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जावें तथा नामा.सं. 613 निर्णय दिनांक 20/3/2001 को निरस्त फरमाया जावें तथा विकित भूमि ख.नं. 579/2271/0.03 का सम्पूर्ण हिस्सा अपीलान्ट के पक्ष में दर्ज करें तथा विकेता के पक्ष में दर्ज हिस्सा 57/300 को हज्फ फरमाने का आदेश प्रदान करें।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड साक्ष्य सबूतों एंवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तो पाया कि नामा.सं. 613 वाके ग्राम बूचाहेडा तहसील कोटपूतली द्वारा तहसीलदार कोटपूतली ने दिनांक 20/3/2001 को स्वीकार किया है। उक्त नामा. विकय पत्र का भरा जाकर स्वीकार हुआ है। जगदीश पुत्र अर्जुन कौम माली सा. देह द्वारा आराजी हाल ख.नं. 579/2271 रकबा 0.03 एयर दिनांक 20/1/1997 को अपीलान्ट शिवकुमारी शर्मा पत्नी श्री बाबूलाल पुरोहित ग्राम सुदरपुरा ढाढा तहसील कोटपूतली को बेचान किया है। विकय पत्र का नामा. दर्ज करते हुय केता/अपीलान्ट के पक्ष में हिस्सा सम्पूर्ण के स्थान पर 243/300 व विकेता के पक्ष में शेष हिस्सा 57/300 दर्ज कर दिया जबकि विकेता का सम्पूर्ण हिस्सा अपीलान्ट/केता के नाम दर्ज होना चाहिए था । उक्त नामा. में अपीलान्ट का हिस्सा 243/300 व विकेता जगदीश पुत्र-अर्जुन का शेष हिस्सा 57/300 दर्ज कर दिया गया जो न्यायोचित नहीं है क्योंकि

अति. जिला कलक्टर

विकेता जगदीश पुत्र अर्जुन ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा जरिये विकय–पत्र से बेचान किया है। वर्तमान में विकेता का शेष हिस्सा 57/300 दर्ज रिकॉर्ड है वह कतई न्यायोचित नहीं है। इसलिए उक्त नामा.सं. 613 स्वीकार हुआ है उसे अपास्त किया जाना न्यायोचित है तथा अपीलान्ट की अपील को स्वीकार कर तहसीलदार कोटपूतली को प्रकरण प्रति प्रेषित (रिमाण्ड) किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का नामा.सं. 613 वाके ग्राम बूचाहेडा तहसील कोटपूतली को अपास्त किया जाकर तहसीलदार कोटपूतली को प्रकरण प्रति प्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर आदेश दिये जाते है कि मुताबिक विकय–पत्र दिनांक 12/2/1997 के आधार पर पक्षकारों को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे तद्उपरान्त अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करने की आवश्यक कार्यवाही करें । तहसीलदार कोटपूतली को तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

13. निर्णय आज दिनांक 9.2.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)